स्त्री का खतना : ऑस्ट्रेलिया मे अपराध

स्त्री का जननांग विकृतिकरण (एफ जी एम) - विश्व के लगभग 48 देशों मे भिन्न भिन्न कारणो से प्रचलित है। परंतु, ऑस्ट्रेलिया मे यह अपराध है।

मई 2014 मे एफ जी एम के विरोध मे न्यू साउथ वेल्स विधान सभा मे अपराधिक संशोधन बिल 2014 पारित किया गया, दोषी पाये जाने वाले पर दन्ड की अवधि 21 वर्ष तक बढ़ा दी गयी।

एफ जी एम के विरुद्ध एन एस डब्ल्यू कानून कहता है कि यह एक अपराधिक कृत्य है.

- छोटी बच्चियों, लड़कियों और औरतों पर एफ जी एम करना।
- एन एस डब्ल्यू के बाहर ले जाकर बच्ची या औरत का खतना करना।
- ऐसा करने के लिये किसी को पैसा देना।
- किसी को ऐसा करने की सलाह देना।

2 जनवरी 2014 को एक इंडोनेशिया निवासी पिता मैनली कोर्ट के सामने पेश किया गया और उस पर अपनी बेटी को विदेश ले जाकर किसी के द्वारा खतना करवाने का आरोप है|

एक अलग केस मे मई 24, 2014 को एक सेवानिर्वत नर्स, एक इमाम और बच्चे की मां, जो सिड्नी मे एक छोटे भारतीय सम्प्रदाय के सदस्य थे, ऑस्ट्रेलिया में दो युवा लड़कियों का खतना करवाने के आरोपी हैं|

स्त्री का खतना करने के चार मूल तरीके हैं

प्रकार 1
शिश्न के मुख पर त्वचा को काटना, भाग मे या सम्पूर्ण रूप से भगशिश्न (क्लाइटोरिस) को काट देना

प्रकार 2
भगशिश्न के काटने के साथ लेबिया मिनोरा को भाग मे या पूरी तरह काट डालना

प्रकार 3
बाह्य जननांग को भाग मे या पूरी तरह काट देना और योनि के मुँह को छोटा करना या सिलना

प्रकार 4 अवर्गीकृत

- चुभाना, छेदना, या भगशिश्न और / या लेबिया को काटना
- भगशिश्ण और / या लेबिया को खींचना
- भगशिश्न और आसपास की त्वचा को लोहे से दागना
- योनि के मुंह के आसपास के भाग को चाकू से खुरचना

स्त्री के खतना के बहुत हानिकारक परिणाम सामने आते हैं। जो उस समय और सारे जीवन भर स्त्री के स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित करते हैं।

यधपि तोरा, बाइबल, तथा कुरान मे से कोई भी धर्म ग्रंथ स्त्री का खतना करने के लिए नहीं कहता, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जो इस प्रथा की हिमायत करते हैं दावा करते हैं कि यह इस्लामिक शिक्षा के अनुसार ज़रूरी है।

फिर भी 22 और 23 नवेंबर 2006 को संसार के उच्च पदाधिकारी मुस्लिम धर्मगुरु अल अज़हर विश्व विद्यालय में एक सम्मलेन में मिले। इस सम्मेलन का आयोजन प्रो. डा. अली गोमा, जो मिस्र के बड़े मुफ्ती है के संरक्षण मे हुआ।

मिस्र, इथिओपिया और जर्मनी के कई अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकों द्वारा कई चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सभी सहमत हुए की स्त्री का खतना एक दंडनीय आक्रमण है और मानवता के विरुद्ध एक अपराध है और यह कि मुसलमानों को इस प्रथा का पालन बंद कर देना चाहिये|

निम्न धार्मिक विद्वान इस सम्मेलन मे शामिल थे।

- ग्रेंड मुफ्ती अल अज़हर के संरक्षक: प्रो. डा. अली गोमा
- ग्रैंड शेख अल अज़हर: प्रो. डा. मुहम्मद सैयद तनतावी
- मिस्र के धार्मिक मंत्री: प्रो. डा. महमूद हमदी ज़ाकज़ोक
- चाड से शेख़ हुसैन हसन
- माली से इमाम महअमादो दियालो
- मॉरिटानिया से इमाम बल एलबेचिर
- इथियोपिया से शेख़ मुहम्मद दारासा
- ऑस्ट्रीया से इमाम ताराफा बघराजाती

मई 2014 मे मिस्र के एक डाक्टर पर आरोप था कि उसने जुलाई 2013 मे एक 12 वर्ष की लड़की का खतना किया जिसमे वह मर गयी।
यधपि मिस्र मे कई वर्षों से यह कानून पारित था परंतु यह आरोपित होने वाला पहला व्यक्ति था|

ऍफ़ जी एम् पर एन एस डब्ल्यू शिक्षा कार्यक्रम एन एस डब्ल्यू में स्वास्थ्य सेवाओं पर स्वास्थ्य जानकारी सत्र और स्वास्थ्य सम्बन्धी बातचीत के माध्यम से उन स्त्रियों की सहायता करता है जो ऍफ़ जी एम् से प्रभावित हैं और सहभागियों को अपने जीवन के बारे में सही जानकारी के साथ निर्णय लेने के लिए सशक्त करता है|

यह कार्यक्रम द्विभाषी समुदाय के पुरुषों और स्त्रियों दोनों को महिलाओं के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर 11 सत्रों का कार्यक्रम और पुरुषों के लिए पुरुषों के स्वास्थ्य पर 7 सत्रों का कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षित करता है| दोनों कार्यक्रम समुदाय के सदस्यों के साथ इस बात पर विचार विमर्श करके तैयार किये गए हैं कि एन एस डब्ल्यू के प्रवासियों और जो उन संस्कृतियों से आते हैं जहाँ ऍफ़ जी एम् का प्रचालन है, उनके लिए क्या जानकारियां मूल्यवान होंगी|

इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले पुरुष और स्त्रियों की प्रितिक्रिया सकारात्मक रही है| उनमें से कई ने ऍफ़ जी एम् को रोकने और खासकर अपनी पुत्रियों पर ऍफ़ जी एम् नहीं करने की शपथ ली है|

बहुत सारे लोगों ने बताया की उन्होंने विदेशों में रहने वाले अपने परिवारों और रिश्तेदात्रों से सम्पर्क कर उन्हें ऍफ़ जी एम् के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया है और उनसे को अपनी बेटियों के लिए इस प्रथा को रोकने का आग्रह किया है|

अधिक जानकारी के लिये कृपया 'एन एस डब्ल्यू शिक्षा कार्यक्रम' एफ जी एम पर संपर्क करें (02) 9840 3877 या (02) 9840 3910

अधिक जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट पर जाएं
www.dhi.health.nsw.gov.au/fgm